रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 1994/चैत्र 9, 1916
No. 140] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 1994/CHAITRA 9, 1916

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1994

सा. का. नि. 345(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज रियायत नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 24 ख में, "दस वर्ष की" शब्दों के स्थान पर "बीस वर्ष से अनधिक की" शब्द रखे जाएंगे ।

3. मूल नियम के नियम 28 के उप-नियम (1) में, परन्तु और उप-नियम (4) के स्पष्टीकरण-1 और 2 में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

4. मूल नियम के नियम 28क के उपनियम (1) में "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

5. मूल नियम के नियम 37 के उपनियम (3) में "या उपनियम (1ख)" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

6. (1) मूल नियम की अनुसूची 1 के प्ररूप ख में, मद 3(3)(ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् :—

"(ख) कंपनी हो तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।"

(2) मद 3(iii)(ग) का लोप किया जाएगा ।

7. (1) मूल नियम की अनुसूची 1 के प्ररूप ङ में मद 2(iii)(ख) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् :—

"(ख) कंपनी हो तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।"

(2) मद 3(iii)(ग) का लोप किया जाएगा ।

8. मूल नियम की अनुसूची 1 के प्ररूप फ में, मद 3(iii)(ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् :—

"(ख) कंपनी हो तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी ।"

(2) मद 3(iii)(ग) का लोप किया जाएगा।

9. (1) मूल नियम की अनुसूची 1 के प्ररूप ज में, मद 2(iii)(ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी अर्थात् :—

"(ख) कंपनी हो तो कंपनी के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न की जाएगी"।

(2) मद 2(iii)(ख) का लोप किया जाएगा ।

[फा. स. 7/1/93—खान-6]

दिवाकर देव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :

मूल विवरण सा. का. नि. सं. 1398 तारीख 11-11-1960 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। संशोधनकारी अधिसूचनाओं की सूची संलग्न है ।

सूची

1. अधिसूचना संख्या एम–2–169(44)61 दिनांक 7-9-61
2. अधिसूचना संख्या एम–2–152(58)61 दिनांक 30-1-63
3. अधिसूचना संख्या एम–2–152(11)62 दिनांक 6-5-63
4. अधिसूचना संख्या 1/22/62—एम–2 दिनांक 18-7-63
5. अधिसूचना संख्या एम–2–152/37/62 दिनांक 22-7-63
6. अधिसूचना संख्या एम–2–169/44/1 दिनांक 6-9-63
7. अधिसूचना संख्या एम–2/152/33/60 दिनांक 24-9-63
8. अधिसूचना संख्या 1/26/66–एम–6 दिनांक 4-3-67
9. अधिसूचना संख्या 1/2/68एम–2 दिनांक 23-2-68
10. अधिसूचना संख्या 1/3/68–एम–2 दिनांक 30-3-68
11. अधिसूचना संख्या 1/3/68—एम–6 दिनांक 13-1-69
12. अधिसूचना संख्या 1/51/65—एम–2 दिनांक 26-2-69
13. अधिसूचना संख्या 1/34/68–एम–2 दिनांक 23-5-70
14. अधिसूचना संख्या 1/33/67–एम–6 (खंड—2) दिनांक 22-7-71
15. अधिसूचना संख्या 1/3/71–एम–6 दिनांक 6-9-71
16. अधिसूचना संख्या 1/26/71–एम–6 दिनांक 14-2-72
17. अधिसूचना संख्या 1/34/71—एम–6 दिनांक 21-5-71
18. अधिसूचना संख्या 1/74/75–एम–6 दिनांक 2-5-79
19. अधिसूचना संख्या 3/51/74–एम–6 दिनांक 16-1-89
20. अधिसूचना संख्या 7/4/84–एम–6 दिनांक 22-9-86
21. अधिसूचना संख्या 7/86/–एम–6 दिनांक 10-2-1987
22. अधिसूचना संख्या 19/9/87–एम–6 दिनांक 14-10-87
23. अधिसूचना संख्या 6/3/87–एम–6 दिनांक 21-12-1987
24. अधिसूचना संख्या 7/2/87–एम–6 दिनांक 13-4-88
25. अधिसूचना संख्या 7/1/89—एम–6 दिनांक 19-10-89
26. अधिसूचना संख्या 7/1/90–एम–6 दिनांक 1-4-91
27. अधिसूचना संख्या 7/3/92–एम.–6 दिनांक 7-1-93

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 1994

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by section 13 of the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the Mineral Concession (Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 24B of the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the principal rules), for the words "of ten years", the words "not exceeding twenty years" shall be substituted.

3. In rule 28 of the principal rules, in sub-rule (1), in the proviso and in Explanations 1 and 2 to sub-rule (4), for the words "one year", the words "two years" shall be substituted.

4. In rule 28A of the principal rules, in sub-rule (1), for the words "one year", the words "two years" shall be substituted.

5. In rule 37 of the principal rules, in sub-rule (3), the words "or sub-rule (1-B)" shall be omitted.

6. (1) In Schedule I of the principal rules, in Form B, for item 3(iii)(b), the following item shall be substituted, namely :—

"(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the Company shall be enclosed.",

(2) item 3(iii)(c) shall be omitted.

7. (1) In Schedule I of the principal rules, in Form E, for item 2(iii)(b), the following item shall be substituted, namely:—

"(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed.",

(2) item 2(iii)(c) shall be omitted.

8. (1) In Schedule I of the principal rules, in Form I for item 3(iii)(b), the following item shall be substituted, namely:—

"(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed.",

(2) item 3(iii)(c) shall be omitted.

9. (1) In Schedule I of the principal rules, in Form J for item 2(iii)(b), the following item shall be substituted, namely:—

"(b) a company, an attested copy of the certificate of registration of the company shall be enclosed.",

(2) item 2(iii)(c) shall be omitted.

[F. No. 7(1)|93-M.VI]
DIVAKAR DEV, Jt. Secy.

Foot Note .

The principal rules were published vide No. G.S.R. 1398, dated the 11th November, 1960, and subsequently amended vide No. G.S.R. ....

(1) Notification No. M.II-169(44)|61 dt. 7-9-61.

(2) Notification No. M.II-152(58)|61 dt. 30-4-63.

(3) Notification No. M.II-152(11)|62 dt. 6-5-63.

(4) Notification No. 1(22)|62-M.II dt. 18-7-63.

(5) Notification No. M.II-152(37)|62 dt. 22-7-63.

(6) Notification No. M.II-169(44)|61 dt. 6-9-63.

(7) Notification No. M.II-152(33)|60 dt. 24-9-63.

(8) Notification No. 1(26)|66-M.VI dt. 4-3-67.

(9) Notification No. 1(2)|68-M.II dt. 23-2-68.

(10) Notification No. 1(3)|68-M.VI dt. 30-3-68.

(11) Notification No. 1(3)|68-M.VI dt. 17-1-69.

(12) Notification No. 1(51)|65-M.II dt. 26-2-69.

(13) Notification No. 1(34)|68-M.II dt. 23-5-70.

(14) Notification No. 1(33)|67-M.VI (Vol. II) dt. 22-7-71.

(15) Notification No. 1(3)|71-M.IV dt. 6-9-71.

(16) Notification No. 1(26)|71-M.VI dt. 14-2-72.

(17) Notification No. 1(34)|71-M.VI dt. 21-5-73.

(18) Notification No. 1(74)|75-M.VI dt. 2-5-79.

(19) Notification No. 3(51)|74-M.VI dt. 16-1-80.

(20) Notification No. 7(4)|85-M.VI dt. 22-9-86.

(21) Notification No. 7(1)|86-M.VI dt. 10-2-87.

(22) Notification No. 19(9)|87-M.VI dt. 14-10-87.

(23) Notification No. 6(3)|87-M.VI dt. 21-12-87.

(24) Notification No. 7(2)|87-M.VI dt. 13-4-88.

(25) Notification No. 7(1)|89-M.VI dt. 19-10-89.

(26) Notification No. 7(1)|90-M.VI dt. 1-4-91.

(27) Notification No. 7(3)|92-M.VI dt. 7-1-93.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994